पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 154/2014 1113 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कटिहार।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मनिहारी।

पटना, दिनांक– 6/9/18

विषयः– ई–टेन्डरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2017–18 के ग्रुप सं0–15 के कार्य नगर पंचायत, मनिहारी अन्तर्गत वार्ड नं0–12 अभयनाथ पांडेय के घर से सत्यनारायण सिंह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क एवं पक्का नाला निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी का पत्रांक–240 दिनांक–26.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2017–18 के ग्रुप सं0–15 के कार्य नगर पंचायत, मनिहारी अन्तर्गत वार्ड नं0–12 अभयनाथ पांडेय के घर से सत्यनारायण सिंह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क एवं पक्का नाला निर्माण कार्य की निविदा में भाग लेने वाले एकल निविदाकार श्री कुन्दन कुमार का निविदा कागजात निविदा निष्पादन हेतु समर्पित किया गया है।

उक्त कार्य के परिमाण विपत्र की राशि 4,94,430/– रूपये मात्र है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2016–17 के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की गयी थी, परन्तु उक्त निविदा के फलाफल से अवगत नहीं कराया गया है।

वर्त्तमान निविदा में भी एकल निविदाकार द्वारा श्री कुन्दन कुमार द्वारा निविदा दिया गया है। मूल्यांकन के उपरान्त एकल निविदाकार श्री कुन्दन कुमार का अत्यन्त पिछड़ा वर्ग संबंधी शपथ–पत्र भ्रामक एवं सदेहास्पद है। फलस्वरूप श्री कुमार की निविदा (कंडिका 16–4(घ) का अनुपालन नहीं करने के कारण) को अमान्य किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि योजना का नामकरण टंकण भूण के कारण गलत अंकित हो गया है। फलतः यह भी निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न करें।

विश्वासभाजन,

6/9/18

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।